



पंचायत उप निर्वाचन-2018  
अत्यावश्यक

समाहरणालय, गया  
(गोपनीय शाखा)

परम गोपनीय  
सील बन्द

पत्रांक VII-1-2018-5244 / गो०

फोन नं० :- 0631-2222800, 2222900

फैक्स नं० :- 0631-2223561, 2222100

दिनांक 06 वीं जुलाई, 2018 ई०।

ई-मेल :- dm-gaya.bih@nic.in

### संयुक्त आदेश

गया जिलान्तर्गत पंचायत उप चुनाव-2018 दिनांक 08.07.2018 को स्वच्छ, निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण मतदान सम्पन्न कराने तथा मतदान की तिथि को आवधिक प्रतिवेदन संकलन एवं ससमय राज्य निर्वाचन आयोग को प्रेषण के उद्देश्य से जिलास्तरीय नियंत्रण कक्ष की स्थापना की जाती है। जिला नियंत्रण कक्ष के वरीय प्रभार में श्री सुनील कुमार, जिला पंचायत राज पदाधिकारी, गया मो०-8210207752 रहेंगे। दिनांक 06.07.2018 से 11.07.2018 तक नियंत्रण कक्ष कार्यरत रहेगा। श्री

### जिला नियंत्रण कक्ष :-

जिला नियंत्रण कक्ष हेतु निम्नलिखित पदाधिकारियों/कर्मचारियों को रोस्टर में प्रतिनियुक्त किया जाता है :-

प्रथम पाली प्रातः 6.00 बजे से अपर 02.00 बजे	द्वितीय पाली अपर 02.00 बजे से 10.00 बजे रात्रि तक	तृतीय पाली 10.00 बजे रात्रि से प्रातः 06.00 बजे तक
श्री निर्मल शर्मा, व्याख्याता, पंचायती राज प्रशिक्षण संस्थान, गया मो०-9431430048	श्री उपेन्द्र कुमार पाल, प्रखंड सांख्यिकी पर्यवेक्षक, नगर मो०-9570604100	श्री राजेश कुमार, प्रखंड कल्याण पदाधिकारी, नगर, मो०-8969330295
पुलिस पदाधिकारी की प्रतिनियुक्ति पुलिस केन्द्र, गया से	पुलिस पदाधिकारी की प्रतिनियुक्ति पुलिस केन्द्र, गया से	पुलिस पदाधिकारी की प्रतिनियुक्ति पुलिस केन्द्र, गया से

वरीय प्रभारी पदाधिकारी, कार्मिक कोषांग अपने स्तर से जिला नियंत्रण कक्ष के प्रत्येक पाली में 01 सहायक एवं 01 अनुसेवकों की प्रतिनियुक्ति करना सुनिश्चित करेंगे ताकि जिला नियंत्रण कक्ष अपने दायित्वों का निर्वहन दृढ़ता से कर सके।

मतदान की अवधि :-	बोधगया / टनकुप्पा / शेरघाटी / इमामगंज / मोहनपुर / टिकारी / डुमरिया / गुरारू / आमस / वजीरगंज / परैया / फतेहपुर / बाराचट्टी / मानपुर एवं बेलागंज में प्रातः 07:00 बजे से 03:00 बजे अपराहन तक।
---------------------	---

### जिला नियंत्रण कक्ष के निम्नलिखित मुख्य दायित्व होंगे :-

1. जिला नियंत्रण कक्ष में संबंधित प्रखण्ड क्षेत्र के लिए अलग-अलग पंजियाँ संधारित की जाएंगी। इन पंजियों में हर मतदान केन्द्र के लिए मतदान केन्द्रवार अलग-अलग पृष्ठ आवंटित किये जायेंगे। पंजी के बायें पृष्ठ पर मतदान केन्द्रों से प्राप्त होने वाली शिकायतें, शिकायतकर्ता के नाम, समय, स्थान इत्यादि के साथ दर्ज की जाएगी तथा दाहिने पृष्ठ पर शिकायत के संदर्भ में क्षेत्र में दिये गये दिशा निदेश एवं उनके अनुपालन के कार्रवाई की सूचना दर्ज की जाएगी। इसके अलावा आम जनता तथा मतदान केन्द्रों से सम्बद्ध कर्मियों द्वारा दी गई अन्य सूचनाएँ/शिकायतें भी इन पंजियों में दर्ज की जाएगी। ई-मेल, फोन, फैक्स, वायरलेस से प्राप्त शिकायतों को प्रत्येक प्रखण्ड के लिये संबंधित पंजी में ही संधारित की जायेगी ताकि समेकित प्रतिवेदन तैयार कर प्रेषण सुनिश्चित हो सके। वरीय पदाधिकारी, नियंत्रण कक्ष इन आदेशों का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित करवायेंगे। नियंत्रण कक्ष द्वारा इस कार्य में चुस्ती और मुस्तैदी बरता जाना अति आवश्यक होगा।

(क) मतदान केन्द्रों पर मतदान दलों, पुलिस बलों इत्यादि के पहुँचने की रिपोर्ट का संकलन जिला नियंत्रण कक्ष द्वारा किया जाएगा तथा इसकी सूचना जिला निर्वाचन पदाधिकारी को दी जाएगी।

(ख) मतदान के दिन निर्धारित समय पर सभी मतदान केन्द्रों पर मतदान प्रारंभ होने की सूचना का संकलन कर जिला निर्वाचन पदाधिकारी/राज्य स्तर को देने की जिम्मेवारी जिला नियंत्रण कक्ष की होगी। यह सूचना अनुमण्डल/निर्वाची पदाधिकारी के स्तर पर संकलित की जाएगी तथा इसका प्रेषण जिला नियंत्रण कक्ष को किया जाएगा।

(ग) मतदान की तिथि को प्रत्येक 02 घंटे पर वोटर टर्न आउट रिपोर्ट का प्रेषण करना।

(घ) मतदान की तिथि को 01:00 बजे अप० तथा 07:00 बजे संध्या तक प्रतिवेदन भेजना।

2. बिहार राज्य निर्वाचन आयोग, बिहार, पटना एवं राज्य सरकार के वरीय पदाधिकारियों द्वारा मांगी जाने वाली सूचनाएं तत्काल उपलब्ध कराना और उनसे प्राप्त निदेशों को सभी संबंधितों को अवगत कराना।

3. चुनाव प्रबन्धन से संबंधित मतदान सामग्री, मतदान कर्मियों के आगमन के संबंध में सूचना प्राप्त कर उनकी उपस्थिति सुनिश्चित करना।

4. विधि-व्यवस्था के संबंध में शीघ्र कार्रवाई हेतु जोनल/सेक्टर को सूचना देना और कार्रवाई के लिए संबंधित पदाधिकारियों को अवगत कराना एवं महत्वपूर्ण घटनाओं की जानकारी जिला निर्वाचन पदाधिकारी एवं वरीय पुलिस अधीक्षक को देते हुए अग्रेतर कार्रवाई करना।

5. जिला के नियमित खैरियत प्रतिवेदन का सभी स्तरों पर प्रेषण सुनिश्चित करना।  
**जिला स्तरीय आपातकालीन संचालन केन्द्र-सह-जिला नियंत्रण कक्ष में दूरभाष 0631-2222253 एवं 0631-2222259 कार्यरत है।**

जिला नियंत्रण कक्ष में परिचारी प्रवर, पुलिस केन्द्र, गया द्वारा मतदान के दिन 2-8 पुलिस बल के साथ एवं 01 पुलिस पदाधिकारी की प्रतिनियुक्ति की जायेगी।

प्रभारी पदाधिकारी, वाहन कोषांग जिला नियंत्रण कक्ष में तैयार हालत में दो वाहन रखेंगे।

जिला अग्निशाम पदाधिकारी, जिला नियंत्रण कक्ष के पास एक फायर फायटिंग युनिट की प्रतिनियुक्ति सुनिश्चित करेंगे।

परिचारी प्रवर, पुलिस केन्द्र, गया जिला नियंत्रण कक्ष में टियर गैस की एक टुकड़ी प्रतिनियुक्त करेंगे। वायरलेस सेट लगाने की जिम्मेवारी वायरलेस सुपरवाइजर की होगी।

6. संबंधित प्रखण्ड विकास पदाधिकारियों -सह- निर्वाची पदाधिकारी को निदेश दिया जाता है कि वे अपने-अपने प्रखण्ड मुख्यालय में प्रखण्ड नियंत्रण कक्ष की स्थापना करेंगे एवं जिला नियंत्रण कक्ष को सूचनाएं सम्प्रेषित करेंगे।

मतदान की तिथि को राज्य निर्वाचन आयोग, पटना द्वारा निर्धारित विहित प्रपत्र में अवधि प्रतिवेदन का प्रेषण की जिम्मेवारी जिला पंचायत राज पदाधिकारी, गया की होगी।

ह०/- राजीव मिश्रा  
वरीय पुलिस अधीक्षक,  
गया।

ह०/- अभिषेक सिंह  
जिला निर्वाचन पदाधिकारी (पंचायत)  
-सह- जिला दण्डाधिकारी, गया।

ज्ञापांक 5244 /गो०, गया, दिनांक 06 वीं जुलाई, 2018 ई०।

- प्रतिलिपि :- सचिव, राज्य निर्वाचन आयोग, बिहार, पटना/गृह सचिव, बिहार, पटना/पुलिस महानिदेशक, बिहार, पटना/आयुक्त, मगध प्रमण्डल, गया/पुलिस उप महानिरीक्षक, मगध क्षेत्र, गया को सूचनार्थ प्रेषित।
- प्रतिलिपि :- प्रतिनियुक्त दंडाधिकारी/पुलिस पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।
- प्रतिलिपि :- सभी अनुमंडल दंडाधिकारी/अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी/पुलिस उपाधीक्षक /जिला पंचायत राज पदाधिकारी, गया/जिला सूचना विज्ञान पदाधिकारी, गया/नजारत उप समाहर्ता, गया/जिला जनसंपर्क पदाधिकारी, गया/संबंधित प्रखंड विकास पदाधिकारी/थानाध्यक्ष, गया जिला को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।
- प्रतिलिपि :- सभी कोषांग के वरीय पदाधिकारी/सभी संबंधित दण्डाधिकारी/पुलिस पदाधिकारी, गया जिला को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।
- प्रतिलिपि :- जिला अग्निशाम पदाधिकारी, गया/परिचारी प्रवर, पुलिस केन्द्र, गया/वायरलेस सुपरवाइजर, गया को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

*द्वारा*  
6/7/18

वरीय पुलिस अधीक्षक,  
गया।

*(सह)*  
6/7/18

जिला निर्वाचन पदाधिकारी (पंचायत)  
-सह- जिला दण्डाधिकारी, गया।

The first part of the document discusses the importance of maintaining accurate records of all transactions. It emphasizes that every entry should be supported by a valid receipt or invoice. This ensures transparency and allows for easy verification of the data.

In the second section, the author outlines the various methods used to collect and analyze the data. This includes both manual and automated processes. The goal is to ensure that the information gathered is both reliable and comprehensive.

The third part of the document provides a detailed breakdown of the results. It shows that there has been a significant increase in the number of transactions over the period studied. This is attributed to several factors, including improved marketing strategies and a more efficient service process.

Finally, the document concludes with a series of recommendations for future work. It suggests that further research should be conducted to explore the long-term effects of the current strategies. Additionally, it recommends that the organization continue to invest in technology to streamline its operations and improve its overall performance.

The author of this report is [Name], who has been responsible for the data collection and analysis. The report was prepared for the management team and is intended to provide them with the information they need to make informed decisions.

The data presented in this report is confidential and should be used only for the purposes stated. Any unauthorized use or distribution of this information is strictly prohibited.